

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 02/2022-सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 50/2017 सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो संख्यांक सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

i. सारणी में, -

- (1) क्र.सं. 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;
- (2) क्र.सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (3) (क) क्र.सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. संख्यांक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"6.	0306	जीवित वन्नामेई झींगा (लिटोपेनियस वन्नामेई)	10%	-	-
6क	0306	लाइव ब्लैक टाइगर झींगा (पीनायस मोनोडोन)	10%	-	-
6ख.	0306 19 00	हिमशीतित क्रिल्ल	15%	-	-
6ग.	0307 32 00	हिमशीतित शंबूक	15%	-	-

6घ.	0307 43 20	हिमशीतित समुद्रफेनी	15%	-	-” ;
-----	------------	---------------------	-----	---	------

(ख) क्र. सं. 6, 6क, 6ग, 6घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(4) क्र. संख्यांक 12, 13, 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(5) क्र. सं. 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“15	0511 10 00	गोजातीय वीर्य	5%	-	-” ;

(ख) क्र. सं. 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(6) क्र. सं. 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(7) क्र. सं. 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(8) क्र. सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(9) क्र. सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(10) क्र. सं. 29, 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(11) क्र. सं. 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(12) क्र. सं. 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(13) क्र. संख्यांक 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(14) क्र. सं. 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(15) क्र. सं. 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(16) (क) क्र. सं. 51 के सामने, स्तंभ 4 में प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टि "5%", रखी जाएगी ;

(ख) क्र. सं. 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(17) क्र. सं. 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(18) क्र. सं. 55 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(19) क्र. सं. 80 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"80क	1518	जलीय भोजन के विनिर्माण के लिए शैवालीय तेल	15%	-	9";

(20) क्र. सं. 82 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(21) क्र. सं. 91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(22) (क) क्र. सं. 91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"91क.	1801 00 00	संपूर्ण या टूकड़े, कच्चे या भुने हुए कोकोबीन	15 %	-	-";

(ख) क्र. सं. 91क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(23) क्र. सं. 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(24) क्र. सं. 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(25) क्र. सं. 100 के सामने स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर "2008 93 00, 2202 99" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(26) क्र. सं. 106, 117 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(27) क्र. संख्यांक 119क, 120, 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(28) क्र. सं. 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(29) क्र. सं. 123 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(30) क्र. सं. 124 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(31) क्र. सं. 127 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(32) क्र. संख्यांक 129, 130 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(33) क्र. सं. 132 के सामने, स्तंभ (3) में,

(क) खंड (क) में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्र. सं. में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”

(ख) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(34) क्र. संख्यांक 134, 135, 136, 137, 138 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(35) क्र. संख्यांक 142, 143, 144, 146, 147, 147क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(36) क्र. सं. 147क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र. संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“147ख	271019	ईंधन तेल	2.5%	-	-
147ग	271019	स्ट्रेट रन ईंधन तेल	2.5%	-	-
147घ	271019	निम्न गंधक मोम अवशेष	2.5%	-	-

147ड	271019	निर्वात गंधक, घोल	2.5%	-	-,
147च	271019	निर्वात गैस तेल	2.5%	-	-, ;

(37) क्र. सं. 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(38) क्र. सं. 154 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(39) क्र. संख्यांक 156, 157, 157क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(40) क्र. संख्यांक 159, 161 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(41) क्र. सं. 166 के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टियों के स्थान पर "28, 29, 30 या 38" प्रविष्टियां रखी जाएगी ;

(42) क्र. सं. 166 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"166 क.	28, 29 या 30	निम्नलिखित के विनिर्माण में प्रयुक्त थोक औषधियां (i) पोलियो टीका (निष्क्रिय और जीवित) (ii) एकघटक इनसूलिन	5% 5%	- -	9 9";

(43) क्र. सं. 167 के सामने, स्तंभ (3) में,

(क) खंड (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) इस प्रकार विलोपित खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी जो 31 मार्च, 2024 तक प्रवृत्त होंगी, अर्थात् :-

(3)	(4)	(5)	(6)
"(घ) निम्नलिखित विनिर्माण			

में प्रयुक्त थोक औषधियां			
(i) पोलियो टीका (निष्क्रिय और जीवित)	शून्य	-	9
(ii) एकघटक इनसूलिन	शून्य	-	9”;

(44) क्र. सं. 167 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“167 क.	30 या 9804	दुर्लभ बीमारी के उपचार के लिए प्रयुक्त औषधियां और दवाईयां	शून्य	-	112”;

(45) (क) क्र. सं. 169 के सामने, स्तंभ (2) में “2823 00 10” प्रविष्टि के पश्चात् “2837 11 00” प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी ;

(ख) क्र. सं. 169 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(46) क्र. सं. 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(47) क्र. सं. 173 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(48) क्र. सं. 174 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(49) क्र. सं. 175 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(50) क्र. सं. 178 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(51) क्र. सं. 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(52) क्र. सं. 182 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(53) क्र. सं. 185 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(54) क्र. सं. 187 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(55) क्र. सं. 192 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(56) क्र. सं. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(57) क्र. सं. 200 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2.5%" रखी जाएगी ;

(58) क्र. सं. 200, 201, 202क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(59) (क) क्र. सं. 204 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"204 क.	2915 21 00	एसिटिक अम्ल	5%	-	-";

(ख) क्र. सं. 204क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(60) क्र. संख्यांक 206, 207, 208, 210, 211 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(61) क्र. सं. 215, 216, 216क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(62) क्र. सं. 219 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(63) क्र. सं. 224 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(64) क्र. संख्यांक 231, 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(65) क्र. संख्यांक 233, 234, 235, 236 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(66) क्र. सं. 240 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(67) क्र. सं. 241, 242, 248, और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(68) क्र. सं. 250, 251 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(69) क्र. सं. 257 के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9 और 108" रखी जाएगी ;

(70) क्र. सं. 257 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"257 क.	39, 48 या कोई अन्य अध्याय	निम्नलिखित माल जब निर्यात के लिए हस्तशिल्प मद के विनिर्माण में उपयोग के लिए सद्भावी निर्यात को द्वारा आयात किए गएहों, अर्थात्:- (क) फोटोफ्रेम का पृष्ठभाग, फोटोफ्रेम या डब्बे के लिए फिटिंग (ख) निर्यात उत्पादों पर लगाने के लिए सजावटी डिजाइन (ग) लैंप छाया के लिए सजावटी पेपर (घ) फोटोफ्रेम के लिए प्रिंट (ङ) फर्नीचर के लिए हार्डवेयर पीतल और धातु फिटिंग (च) कर्तरिका के लिए हैंडल/ब्लैड (छ) इनले कार्ड, सेंसर, स्टिकर, पोली बैग, अलार्म टैग, अलार्म चिप, सुरक्षा चिप (ज) जिपर, जिपर हैड, कसनी, खींचने वाला, स्लाइडर, एण्ड स्टोपर, अक्षिका, हुक, नेत्र, रिवट, स्टड, बटन, चुंबकीय बटन, बक्कल, गलनीयकशीदा-कारी प्रिंट, सेक्विन, धातु चैन, कुत्ते का	शून्य	-	9 और 108

		हुक, 'डी' रिंग, 'ओ' रिंग, सेतु फिटिंग, धातु फ्रेम/बैग फ्रेम, धातु अक्षर/आंतरिक प्लैट/लोगो (झ) प्लास्टिक/स्टेनलैस स्टील/धातु की स्वचालित मशीन के लिए टॉपी/लोशन पंप			
257ख.	39, 48 या कोई अन्य अध्याय	निम्नलिखित माल जब निर्यात के लिए वस्त्र या चमड़े के कपड़ों के विनिर्माण में उपयोग के लिए सद्भावी निर्यातकों द्वारा आयात किए गए हों, अर्थात् :- (क) कसनी जिसमें बटन और काटने वाली कसनी/जिप कसनी शामिल है (ख) इनले कार्ड (ग) बक्कल, अक्षिका, हुक और नेत्र, रिबट (घ) कालर स्टेज, कालर पेटीज, बटरफ्लाई और अन्य कपडा स्टेजजिसमें प्लास्टिक स्टेज शामिल है (ड) कशीदा-कारी हस्तशील या प्रिंट (च) फीतें (छ) बैज जिसमें कशीदा-कारी बैज शामिल है (ज) सिक्वेन (झ) खूंटियां	शून्य		9 और 108

		<p>(ज) स्टड</p> <p>(ट) प्रिंटेड थैले</p> <p>(ठ) चोरी विरोधी युक्ति जैसे लेबल्स, टैग और सेंसर</p> <p>(ड) पोली पाउच, उच्च संघनता स्टीकर, उष्मा अंतरण स्टीकर</p> <p>(ढ) ड्रा स्टैरिंग हुडिड जैकटपर एंगलैट</p> <p>(ण) पैकिंग के लिए पिन बुलैट, प्लास्टिक टैग बुलैट, धातु घुंडी, कमान, अंगुठी और स्लाइडर तथा रिंग</p> <p>(त) अस्तर और आंतरिक अस्तर सामग्री</p> <p>(थ) भीगा हुआ नीला टैन्ड लेदर क्रोम</p>			
257ग.	39, 48 या कोई अन्य अध्याय	<p>निर्यात के लिए लेदर या सिंथेटिक फुटवेयर या अन्य लेदर उत्पादों के विनिर्माण के लिए वास्तविक निर्यातकों द्वारा जब आयात किया गया हो, निम्नलिखित माल अर्थात् :-</p> <p>(क) बक्कल, "डी" रिंग और "ओ" रिंग सुराख, हुक और अक्षि, कीलक, दोहरा बटन, सजावटी फिटिंग और धातु ट्रिमिंग;</p> <p>(ख) बटन और स्नेप बंधक, जिप बंधक;</p> <p>(ग) लाक जिसके अन्तर्गत चुम्बकीय लाक भी है;</p> <p>(घ) मेटल हैंडल, हैंडल फिटिंग,</p>	शून्य	-	9 और 108";

		<p>हैंडल होल्डर, मेटल फ्रेम, डागहुक, सभी प्रकार के लाग्स, रिंग बिन्डर्स, की-हुक, चाबी का छल्ला, की-होल्डर, पुश क्लिप, चेन, पुलर के पार्ट, हिंक्स और चुम्बकीय स्नेप;</p> <p>(ड) लूप कीलक और लूप औवल;</p> <p>(च) पैकिंग बाक्स;</p> <p>(छ) त्रिकोण वृक्ष;</p> <p>(ज) फिटिंग्स, मेटल या एलोए के स्नेप;</p> <p>(झ) मेटल फिटिंग्स, अलंकरण, साज और जीनसाज मर्दों को बनाने के लिए किसी सामग्री का निवाड़;</p> <p>(ञ) त्रिकोण वृक्ष को बनाने के लिए उपयोग में आने वाली किसी सामग्री का रकाब और रकाब बार;</p> <p>(ट) कृत्रिम फर और अलार्म टैग;</p> <p>(ठ) लेदर माल में प्रयोग किए जाने वाला चुम्बक;</p> <p>(ड) माइक्रोपैक लेबल;</p> <p>(ढ) भीगा नीला टैन्ड लेदर क्रोम;</p>			
--	--	--	--	--	--

(71) क्रम सं. 262 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(72) क्रम सं. 268 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(73) क्रम सं. 277 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(74) क्रम सं. 281 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(75) क्रम सं. 288 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(76) क्रम सं. 289 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी” ;

(77) क्रम सं. 292, के सामने, स्तंभ (4) में दोनों स्थानों पर “शून्य” प्रविष्टि के स्थान पर “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(78) क्रम सं. 293 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(79) क्रम संख्यांक 306, 307, 308, 309, 310, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(80) क्रम सं. 324 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(81) क्रम संख्यांक 327, 328 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(82) क्रम सं. 332 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(83) क्रम सं. 338 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(84) क्रम सं. 342 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(85) क्रम सं. 343 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(86) क्रम सं. 344 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 1 मई, 2022 से निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“344.	71	बिना जड़ा हुआ और बिना कटा हुआ आयातित रूबी, पन्ना और नीलम	0.5%	-	”;

(87) क्रम सं. 345 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“345क.	7102 21,	साधारण स्वान हीरा	शून्य	-	110”;

	7102 31 00				
--	---------------	--	--	--	--

(88) क्रम संख्यांक 349, 350 और 351 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(89) क्रम सं. 364 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(90) क्रम संख्यांक 366, 367 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(91) क्रम संख्यांक 368 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा;

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी” ;

(92) क्रम सं. 369 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(93) क्रम सं. 376क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् 1 मई, 2022 से निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“376कक.	7226 11 00	सभी माल	5%	-	-”;

(94) क्रम संख्यांक 382, 383, 384, 385 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(95) क्रम संख्यांक 390क, 391 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(96) (क) क्रम सं. 391 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“391क.	8112 61 00, 8112 69 00	निम्नलिखित माल, अर्थात्:- (i) अनगढ़ा कैडमियम पाउडर (ii) गढ़ा कैडमियम (iii) वेस्ट और स्क्रैप	5% 5% 5%	- - -	- - -”;

(ख) क्रम सं. 391क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(97) क्रम संख्यांक 393, 394 और 395 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी” ;

(98) क्रम सं. 396 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2022 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी” ;

(99) क्रम संख्यांक 397, 399 और 400 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

(100) क्रम सं. 402 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(101) क्रम सं. 403 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी” ;

(102) क्रम सं. 404 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“404.	27, 31, 38, 39, 73, 82, 84, 85, 87, 89 या 90 ।	सूची 33 के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट माल जब पेट्रोलियम प्रचालन या कोयला संस्तर मीथेन के संबंध में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित के अधीन आयात किया गया हो: (क) पेट्रोलियम खोज अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा;	शून्य	5%	48”;

		<p>(ख) नई खोज अनुज्ञापन संबंधी नीति; (ग) मार्जिनल फील्ड पालिसी (एमएफपी); (घ) कोयला संस्तर मीथेन नीति; (ङ) हाईड्रोकार्बन खोज अनुज्ञापन नीति (एचईएलपी) या खुला क्षेत्रफल अनुज्ञापन नीति (ओएएलपी);</p> <p>स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति एक अनुज्ञसिधारी, पट्टेदार, ठेकेदार या उप-ठेकेदार है जैसा नीचे परिभाषित है:-</p> <p>(i) 'अनुज्ञसिधारी' से तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) के उपबंधों के अधीन बनाए गए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अधीन मंजूर पेट्रोलियम खोज अनुज्ञसि के अनुसरण में खनिज तेल (जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी सम्मिलित है) के अभिप्राय के लिए प्राधिकृत अभिप्रेत है ।</p> <p>(ii) 'पट्टेदार' से तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) के उपबंधों के अधीन बनाए गए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अधीन मंजूर पेट्रोलियम खनन पट्टा के अनुसरण में खनन तेल (जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी सम्मिलित है) के अभिप्राय के लिए प्राधिकृत अभिप्रेत है ।</p> <p>(iii) 'ठेकेदार' से कम्पनी (भारतीय या विदेशी) या कम्पनी का संघ अभिप्रेत है जिसके साथ ऐसी कम्पनी या संघ</p>		
--	--	--	--	--

		<p>द्वारा अपनाए जाने के लिए (खनिज तेल के विस्तार या उत्पादन के पूर्वक्षण से मिलकर बनने वाले) पेट्रोलियम प्रचालन से संगत किसी करार में केन्द्रीय सरकार सम्मिलित है ।</p> <p>(iv) 'उप-ठेकेदार' से यथास्थिति ऐसे अनुज्ञप्तिधारी/पट्टेदार या ठेकेदार की ओर से पेट्रोलियम प्रचालन करने के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी/पट्टेदार या ठेकेदार द्वारा लगाया गया व्यक्ति अभिप्रेत है ।</p>			
--	--	---	--	--	--

(103) क्रम सं. 405 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु खंड (1) और खंड (3) में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2022 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी” ;

“परन्तु यह और कि खंड (2), (4) और खंड (5) में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।” ;

(104) क्रम संख्यांक 406, 407, 408 और 409 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(105) क्रम संख्यांक 410, 413 और 414 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2022 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(106) क्रम संख्यांक 424, 425 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(107) क्रम सं. 430 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(108) क्रम सं. 431 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(109) क्रम सं. 432 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(110) क्रम सं. 433 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2022 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(111) क्रम सं. 434 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(112) क्रम सं. 436 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(113) क्रम संख्यांक 439 और 440 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(114) क्रम सं. 442 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(115) क्रम सं. 443 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(116) क्रम संख्यांक 444, 445 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(117) क्रम सं. 448 के सामने, स्तंभ (3) में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(118) क्रम सं. 448ख उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(119) क्रम सं. 449 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(120) क्रम सं. 450 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(121) क्रम सं. 451क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“451ख.	8419	काफी के विनिर्माण या प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली काफी को भूनने, किण्वासन या वेडिंग मशीन	7.5%	-	”;

(122) क्रम संख्यांक 452, 452क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(123) क्रम संख्यांक 455, 458 और 460 के सामने, स्तंभ (3) के अंत में क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(124) क्रम सं. 461 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां 1 अप्रैल, 2022 से रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“461.	8444, 8445, 8446, 8447, 8448 (सिवाय 8448 31 00), 8449	सभी माल परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी	5%	-	”;

(125) क्रम सं. 464 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"464क.	7325 10 00 8477 90 00 8483 40 00	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी के विनिर्माण में उपयोग करने के लिए निम्नलिखित माल, (टैरिफ मद 8477 10 00, 8477 20 00, 8477 30 00): (i) एस जी इनगोट कास्टिंग (7325 10 00); (ii) लाइनर मोशन गाईड (8477 90 00) (iii) बाल स्कू (8483 40 00)	7.5% 5% 5%	- - -	9 9 9";

(126) क्रम सं. 466 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(127) क्रम संख्यांक 469, और 470 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

(128) क्रम सं. 479 के सामने, स्तंभ (3) में अंत में क्रमशः निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

(129) क्रम संख्यांक 481, 481क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(130) क्रम सं. 485 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(131) क्रम संख्यांक 487, 488 और 489 उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(132) क्रम संख्यांक 492, 493 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(133) (क) क्रम सं. 494 के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टियों के स्थान पर “9030 31 00, 9030 90 10” प्रविष्टियां 1 अप्रैल, 2022 से रखी जाएंगी;

(ख) क्रम सं. 494 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2022 से लोप किया जाएगा;

(134) क्रम सं. 496 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(135) क्रम सं. 501 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(136) क्रम संख्यांक 505, 506, 507, 508 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(137) क्रम सं. 513 के सामने, स्तंभ (3) में,-

(क) खंड (क) में, उपखंड (ii), (iii) और (iv) का लोप किया जाएगा;

(ख) अंत में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम सं. में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।” ;

(138) क्रम सं. 525 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“525.	8702 या 8704	विद्युत चालित वाहन, यदि आयात किया जाता है - (1) अधूरा या बिना तैयार किया गया, बैटरीपैक, मोटर, मोटर नियंत्रक, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनिटर, कॉन्टैक्टर, ब्रेक सिस्टम इलेक्ट्रिक दबाव सहित एक संपूर्ण वाहन को संयोजित करने के लिए आवश्यक घटकों, भागों या उप-संयोजन युक्त नॉकडाउन किट के रूप में, चाहे व्यक्तिगत रूप से पूर्व-संयोजन के साथ या नहीं, के साथ - (क) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-संयोजन में	15%	-	”;

		से कोई भी एकदूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है और चेसिस पर नहीं लगाया गया है			
		(ख) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-संयोजन में से कोई एकदूसरे के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन चेसिस पर नहीं लगाया गया है	25%		
		(2) उपरोक्त (1) के सिवाय किसी अन्य रूप में स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए, इस प्रविष्टि की मदों (1) (क) और (1) (ख) में अन्तर्विष्ट छूट उपलब्ध होगी, यद्यपि यदि संयोजन के लिए आवश्यक एक या अधिक घटकों, भागों या उप-संयोजनों की आवश्यकता हो एक पूर्ण वाहन किट में आयात नहीं किया जाता है, परन्तु कि प्रस्तुत किट, निर्वचन के साधारण नियमों के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 8702 या 8704 के अधीन वर्गीकरणीय है।”;	40%		

(139) क्रम सं. 526क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“526क.	8703	विद्युत चालित वाहन, यदि आयात किया जाता है - (1) अधूरा या बिना तैयार किया गया, बैटरीपैक, मोटर, मोटर नियंत्रक, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनिटर, कॉन्टैक्टर, ब्रेक सिस्टम इलेक्ट्रिक दबाव सहित एक संपूर्ण वाहन को संयोजित करने के लिए आवश्यक घटकों, भागों या उप-		-	”;

		<p>संयोजन युक्त नॉकडाउन किट के रूप में, चाहे व्यक्तिगत रूप से पूर्व-संयोजन के साथ या नहीं, के साथ -</p> <p>(क) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-संयोजन में से कोई भी एकदूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है और चेसिस पर नहीं लगाया गया है</p> <p>(ख) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-संयोजन में से कोई एकदूसरे के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन चेसिस पर नहीं लगाया गया है</p> <p>(2) उपरोक्त (1) के सिवाय किसी अन्य रूप में</p> <p>(क) यूएस \$40,000 से अधिक सीआईएफ मूल्य के साथ</p> <p>(ख) उपरोक्त (क) के सिवाय अन्य</p> <p>स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए, इस प्रविष्टि की मदों (1) (क) और (1) (ख) में अन्तर्विष्ट छूट उपलब्ध होगी, यद्यपि यदि संयोजन के लिए आवश्यक एक या अधिक घटकों, भागों या उप-संयोजनों की आवश्यकता हो एक पूर्ण वाहन किट में आयात नहीं किया जाता है, परन्तु कि प्रस्तुत किट, निर्वचन के साधारण नियमों के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 8703 के अधीन वर्गीकरणीय है।”;</p>	15%		
			30%		
			100%		
			60%		

(140) क्रम सं. 531क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

"531क.	8711	<p>विद्युत चालित वाहन, यदि आयात किया जाता है -</p> <p>(1) अधूरा या बिना तैयार किया गया, बैटरीपैक, मोटर, मोटर नियंत्रक, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनिटर, कॉन्टैक्टर, ब्रेक सिस्टम इलेक्ट्रिक दबाव सहित एक संपूर्ण वाहन को संयोजित करने के लिए आवश्यक घटकों, भागों या उप-संयोजन युक्त नॉकडाउन किट के रूप में, चाहे व्यक्तिगत रूप से पूर्व-संयोजन के साथ या नहीं, के साथ -</p> <p>(क) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-संयोजन में से कोई भी एकदूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है और चैसिस पर नहीं लगाया गया है 15%</p> <p>(ख) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-संयोजन में से कोई एकदूसरे के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन चैसिस पर नहीं लगाया गया है 25%</p> <p>(2) उपरोक्त (1) के सिवाय किसी अन्य रूप में 50%</p> <p>स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए, इस प्रविष्टि की मदों (1) (क) और (1) (ख) में अन्तर्विष्ट छूट उपलब्ध होगी, यद्यपि यदि संयोजन के लिए आवश्यक एक या अधिक घटकों, भागों या उप-संयोजनों की आवश्यकता हो एक पूर्ण वाहन किट में आयात नहीं किया जाता है, परन्तु कि प्रस्तुत किट, निर्वचन के साधारण नियमों के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 8711 के अधीन वर्गीकरणीय है।";</p>	-	-";
--------	------	--	---	-----

- (141) क्रम सं. 541 उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;
- (142) क्रम सं. 547 उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;
- (143) क्रम सं. 552 उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;
- (144) क्रम सं. 554 उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;
- (145) क्रम संख्यांक 556, 557 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;
- (146) क्रम सं. 563 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां 1 मई, 2022 से रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“563.	9019 10 20, 9022 90 10 या 9022 90 30	चिकित्सा, शल्यचिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए अपेक्षित माल स्पष्टीकरण – इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "माल" शब्द केवल चिकित्सा, शल्यचिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए अपेक्षित चिकित्सा उपकरणों या साधित्रों को निर्देशित करता है और इसके पुर्जों और इसके छुटपुट को निर्देशित नहीं करता है।	5%	-	-”;

(147) क्रम संख्या 563क के सामने –

(क) स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, 1 मई, 2022 से प्रविष्टि “9018 90 99 या 9022 (9022 90 10 या 9022 90 30 के सिवाय)” रखी जाएगी;

(ख) स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर 1 अप्रैल, 2022 से निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"निम्नलिखित के सिवाय सभी माल, -

(i) चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रेमशीन (9022 14 20 या 9022 14 90);

(ii) उपरोक्त (i) में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग के लिए

निम्नलिखित माल, अर्थात्: -

(क) स्टैटिक यूजर इंटरफेस (9018 90 99);

(ख) एक्स-रे डायग्नोस्टिक टेबल (9022 90 40);

(ग) लंबवत् बकी (9022 90 90);

(घ) एक्स-रेट्यूब निलंबन (9022 90 90);

(ड.) उच्च आवृत्ति एक्स-रेजेनरेटर (> 25किलोहर्ट्ज, <500एमए) (9022 14 10);

(च) एक्स-रेग्रिड (9022 90 90);

(छ) मल्टी लीफ कोलीमेटर/आइरिस (9022 29 00 or 9022 90 90).”;

(148) क्रम संख्या 564 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर 1 अप्रैल, 2022 से निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्: -

चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग (9022 14 20 या 9022 14 90) के लिए एक्स-रे मशीनों के निर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल के सिवाय शीर्ष 9018, 9019, 9020, 9021, या 9022 के अधीन आने वाले माल के निर्माण में उपयोग के लिए कच्चे पदार्थों, भागों या उपसाधनों, अर्थात्:-

(क) स्टैटिक यूजर इंटरफेस(9018 90 99);

(ख) एक्स-रे डायग्नोस्टिक टेबल (9022 90 40);

(ग) लंबवत् बकी (9022 90 90);

(घ) एक्स-रे ट्यूब निलंबन (9022 90 90);

(ड.) उच्च आवृत्ति एक्स-रे जेनरेटर (> 25किलोहर्ट्ज, <500एमए) (9022 14 10);

(च) एक्स-रेग्रिड(9022 90 90);

(छ) मल्टी लीफ कोलीमेटर/आइरिस (9022 29 00 or 9022 90 90).”;

(149) क्रम संख्यांक 564क, 564ख, 564ग और इससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2022 से लोप किया जाएगा;

(150) क्रम संख्या 584 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा;

(151) क्रम संख्यांक 588, 589, 590 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(152) क्रम संख्या 591 के सामने, -

(क) स्तंभ (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, 1 मई, 2022 से “95030091” प्रविष्टि को रखा जाएगा ;

(ख) स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “25%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(153) क्रम संख्या 594 के सामने, स्तंभ (3) के अंत में निम्नलिखित परंतुक को

अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2023 के पश्चात् प्रवृत्त होगी।”;

- (154) क्रम संख्या 594क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा ;
- (155) क्रम संख्या 597 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“597.	9801	निम्नलिखित के लिए अपेक्षित माल,- (i) कोयला खनन परियोजना; (ii) लौह अयस्क पेलेट संयंत्र/परियोजनाएं और लौह अयस्क हितकारी संयंत्र/परियोजनाएं (iii) विद्युत उत्पादन परियोजनाएं, जिसके अंतर्गत गैस टर्बाइन विद्युत परियोजनाएं भी हैं (विद्युत उत्पादन से भिन्न क्रियाकलापों में लगे परियोजनाओं द्वारा स्थापित आबद्ध विद्युत संयंत्र को छोड़कर) (iv) बार्ग माउंटेड विद्युत संयंत्र (v) विद्युत पारेषण, उप पारेषण या वितरण परियोजनाएं परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।	शून्य 2.5% 5% 5%	- - - -	111 111 111 111 111;” ;

(156) क्रम संख्या 598 और 599 के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत में क्रमशः अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात्

प्रभावी नहीं होगी.”;

(ख) स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर “95 और 111” प्रविष्टियों को रखा जाएगा;

(157) क्रम संख्या 600 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“600	9801	निम्नलिखित के लिए अपेक्षित माल,- (क) एलएनजी रीगैसीफिकेशन संयंत्र के लिए परियोजना; (ख) एरियल पैसेंजर रोपवे परियोजना परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।	5% 5%	- -	111 111;” ;

(158) क्रम संख्या 601 के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।.”;

(ख) स्तंभ (6) में, “111” प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(159) क्रम संख्या 602 के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।.”;

(ख) स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर “96 और 111” प्रविष्टियों को रखा जाएगा;

(160) क्रम संख्या 603 के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।.”;

(ख) स्तंभ (6) में, “111” प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(161) क्रम संख्या 604 के सामने, -

(क)स्तंभ (3) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

(ख) स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर “97 और 111” प्रविष्टियों को रखा जाएगा;

(162) क्रम संख्या 605 के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

(ख) स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर “98 और 111” प्रविष्टियों को रखा जाएगा;

(163) क्रम संख्या 606 के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, निम्नलिखित परंतुक को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 30 सितंबर, 2023 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

(ख) स्तंभ (6) में, “111” प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी।

II. (क) सारणी के पश्चात् पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) दूसरे परंतुक में, “यह और कि” शब्द का लोप किया जाएगा ;

III. दूसरे परंतुक के पश्चात्, स्पष्टीकरण में, खंड (III) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(IV) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अधीन, यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि अधिसूचना की सारणी की क्रम संख्या के अधीन दी गई सशर्त छूट, जैसा कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, जिसके लिए विधिमान्यता की अवधि अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, जब तक कि उसमें फेरफार या विखंडित नहीं किया जाता है, नीचे दी गई उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख तक विधिमान्य होगी।

क्र. सं.	इस अधिसूचना की सारणी की क्र. सं.	वह तारीख जिस तक यह विधिमान्य है
(1)	(2)	(3)
1.	16, 90, 133, 139, 150, 155, 164, 165, 168, 183, 184, 188, 204, 213, 237, 238, 253, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 269, 271, 276, 277क, 279, 280, 325, 333, 334, 339, 340, 341, 341क, 353, 364क, 374, 375, 378, 379, 380, 381, 387, 392, 415, 415क, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 426, 428, 429, 441, 462, 463, 464, 471, 472, 475, 478, 482, 489ख, 495, 497, 504, 509, 510, 511, 512, 512क, 516, 519, 534, 535, 535क, 536, 538, 540, 542, 543, 544, 546, 549, 550, 559, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 575, 577, 578क, 579, 580, 581, 583, 593, 612	31 मार्च, 2024
2.	17, 80क, 104, 172, 191, 257, 257क, 257ख, 257ग, 265, 290, 292, 293क, 296क, 326, 329, 345क, 354, 355, 356, 357, 422, 423, 442, 446, 451, 464क, 517, 591।	31 मार्च, 2024।।

IV. उपाबंध में,-

- (i) शर्त संख्या 14 का लोप किया जाएगा ;
- (ii) शर्त संख्या 16 में “डचेन मस्कूलर एट्रोफी” शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर “डचेन मस्कूलर डस्ट्रोफी” शब्द रखे जाएंगे ;
- (iii) शर्त संख्यांक 17,19,21, 28, 32, 33, 34 और 36 का लोप किया जाएगा ;
- (iv) शर्त संख्या 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शर्त या प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात :-

“48.	यदि, - (क) आयातक एक अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या ठेकेदार है, यथास्थिति वह संबंधित सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त को एक दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करेगा कि वह एक निर्दिष्ट व्यक्ति की श्रेणी में आता है और शुल्क, जुर्माने या शास्ति जो देय है के भुगतान के लिए एक वचनबद्ध
------	---

देगा यदि इस अधिसूचना की किन्हीं शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है;

(ख) आयातक एक उप ठेकेदार है, तो वह आयात के समय, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त को, ऐसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र जो संबंधित अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या ठेकेदार को ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, प्रस्तुत करेगा जो यह प्रमाणित करता है कि माल यथास्थिति ऐसी अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या ठेकेदार या उप-ठेकेदार से वचनबद्ध के साथ विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए आशयित है और शुल्क, जुर्माने या शास्ति जो देय हो जाती है के भुगतान के लिए दायी है, यदि इस अधिसूचना की किन्हीं शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है ;

(ग) आयातक या कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति (अन्तरणकर्ता) किसी अन्य विनिर्दिष्ट व्यक्ति को (अन्तरिती) माल अन्तरित करता है, -

(i) अन्तरणकर्ता यथास्थिति संबंधित सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त को, ऐसे अंतरण के बारे में सूचना देगा और ऐसे अंतरित किए गए माल के संबंध में स्वयं को प्रभावोन्मुक्त करेगा ;

(ii) अंतरिती इस अधिसूचना की शर्तों का अनुपालन करने के लिए एक वचनबद्ध देगा, मानो वह इन मालों का आयातक हो ।

(iii) जहां अंतरिती एक उप-ठेकेदार है, वहां यथास्थिति, ऐसे उप-ठेकेदार के पट्टेदार या पट्टेकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी उस मामले में जहां इस अधिसूचना की शर्तों के अनुपालन में उप-ठेकेदार असफल हो जाता है, शुल्क, जुर्माने या शास्ति का भुगतान करने के लिए स्वयं को दायी बनाने वाला एक अतिरिक्त वचनबद्ध भी देगा ।

(घ) ऐसे आयात किए गए माल अप्रयोज्य प्ररूप या स्क्रेप के रूप में उनके उपयोग के पश्चात् उनका निपटान करना ईप्सित है, यथास्थिति, आयातक या

	<p>अंतरिती ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य की 7.5% प्रतिशत दर पर शुल्क का भुगतान करके एमएसटीसी या इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य सरकारी अभिकरण के माध्यम से इन मालों का निपटान कर सकेगा ।</p> <p>स्पष्टीकरण - इस शर्त के प्रयोजन के लिए, 1 फरवरी, 2022 को या उससे पहले आयात किए गए माल का शुल्क की रियायती दर का दावा करते हुए, या तो ऐसे मोलों के लिए इस शर्त या किसी प्रक्रिया की छूट के अधीन 2 फरवरी, 2022 को या उसके पश्चात् निपटान किया है, इस शर्त के खंड (घ) के अनुसार निपटान कर सकेगा ।";</p>
--	---

- (v) शर्त संख्यांक 61, 73, 92, 93 और 94 का लोप किया जाएगा ;
- (vi) शर्त संख्यांक 108 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शर्त और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“108.	यदि आयातित माल का उपयोग करते हुए विनिर्मित मर्दों को उक्त आयातित माल के आयात की तारीख से छह महीने के भीतर आयातक द्वारा निर्यात किया गया है”;
-------	--

- (vii) शर्त संख्या 109, के पश्चात् निम्नलिखित शर्त संख्या अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“110.	यदि, आयातक यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष यह प्रमाणित करते हुए कि आयातित माल हीरे हैं, वह सरलता से चीरे गए के सिवाय कोई अन्य कार्य नहीं किया गया है, किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणन स्कीम (केपीएस) के अधीन जारी एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
111.	यदि माल परियोजना आयात विनियम, 1986 के अनुपालन में संबंधित सीमाशुल्क हाउस के साथ 30 सितंबर, 2022 को या पूर्व रजिस्ट्रीकृत संविदा के विरुद्ध आयात किया गया है ।
112.	यदि माल निम्न द्वारा आयात किया जाता है, - (क) अनुसूची 35 में सूचीबद्ध उत्कृष्टता केंद्र; या (ख) अनुसूची 35 में सूचीबद्ध किसी उत्कृष्टता केंद्र की सिफारिश पर

	कोई व्यक्ति या संस्थान, यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति (नाम) जिसके लिए आषधियां या दवाईयां आयात की जा रही हैं, एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है (नाम से विनिर्दिष्ट किया जाए) और उक्त दुर्लभ बीमारी के उपचार के लिए ऐसी औषधियां या दवाईयां अपेक्षित हैं।”
--	---

(viii) सूची 1 या उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सूची और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"सूची 1 (सारणी की क्र. सं. 104 देखें)

- (1) अम्ल सोडियम कार्बोनेट (सोडियम बाइकार्बोनेट)
- (2) बेटर
- (3) डेब
- (4) सिकअम्ल
- (5) सुचीकारक निकष और चटनी
- (6) सुचीकारक तेल
- (7) खाद्य रंग
- (8) खाद्य एनजाइम
- (9) खाद्य ग्रेड फास्फेट
- (10) खाद्य मेरीनेट
- (11) खाद्य टेन्डराइजर्स
- (12) प्राकृतिक खाद्य गम
- (13) ओटीआर ताजा मछली बैग (ओक्सीजन प्रवेश्य)
- (14) खरीदार की अपेक्षा के अनुसार पोलिप्रोपलिन बॉक्स
- (15) डिब्बा या बॉक्स पर टैग के लिए आरएफआईडी लेबल
- (16) सीज नगसाट/अल जैसे सोडियम काब नेट, पोटैसियम टारेट
- (17) सोडियम सिट्रेट

- (18) खरीदार की अपेक्षा के अनुसार ठोस बोर्ड बॉक्स
- (19) सोर्बिटोल
- (20) स्टार्च (गेहूं/गैर-गेहूं)/ पूर्व जिलेटिनाइज्ड स्टार्च
- (ix) सूची 3 में ,-
- (i) मद संख्यांक 3, 7, 8, 12, 22, 25, 27, 28, 30, 33, 38, 39, 43, 44, 49, 50, 53, 54, 61, 62, 68, 70, 80, 86, 88, 93, 97, 99, 102, 107, 109, 110, 15, 117, 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ii) मद संख्या 95 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2023 से लोप किया जाएगा ;
- (iii) मद संख्या 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां 2 फरवरी, 2022 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-
- “(123) यकृत-शोथ ख प्रतिजन की पहचान के लिए नैदानिक कारक
- (124) एचआईवी रोग प्रतिकारक की पहचान के लिए नैदानिक किट
- (125) किट एलिसा किट प्रतिरक्षित अवशोषक जांच से संबंधित एन्जाइम।”;
- (x) सूची 4 में मद संख्यांक 1, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 42, 45, 46, 50, 51, 58, 60, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 89, 91, 98, 99, 110 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (xi) सूची 7 का लोप किया जाएगा ;
- (xii) सूची 10 में मद संख्यांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18,19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2022 से लोप किया जाएगा ;
- (xiii) सूची 11 में, मद संख्या 4 में उप मद संख्या (ख), (ग), (ङ), (च) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2022 से लोप किया जाएगा ;
- (xiv) सूची 13 में मद संख्या 3, 5, 7, 8, 10, 17, 22, 23, 24, 25, 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2022 से लोप किया जाएगा ;
- (xv) सूची 17, 18, 23 का लोप किया जाएगा ;

(xvi) सूची 25 में मद संख्या 1, 3, और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2022 से लोप किया जाएगा ;

(xvii) सूची 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सूची और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“सूची 33 (सारणी की क्र. सं. 404 देखें)

क्र. सं.	शीर्ष/टैरिफ मद	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7304	i. उप-साधन, संयोजन, क्रोशओवर, योजक के साथ प्रिमियम/क्रोमी केशिंग पाइप और ट्यूबिंग ii. उप-समुद्री पाइपलाइन जिसमें भार, लेप और लपेटना एपीआई 5एल (अमेरिकन पेट्रोलियम संस्थान) सूची एपीआई के उपाबंध-ज और उपाबंध-ज की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाली पाइपलाइन
2.	8207	भूमि बोरिंग और चट्टान प्रवेधन सामग्री के लिए प्रवेधन बिट
3.	8413 या 8414	उपस्कर जैसे जल इंजेक्शन, गैस ट्राइडन, उप सतही पंप और प्रक्रिया के लिए कंप्रेसर के सभी प्रकार और उत्पादन प्लेटफार्म तथा उप-सतही पंप और चूषक रोड पंप, उच्च दाब वाल्व
4.	8430	तेल और गैस युक्ति (अभितट) पेट्रोलियम और गैस कुआ प्रवेधन मशीनरी और पेट्रोलियम प्रचालन अपतट और अभितट के लिए विशेष सेवा हेतु उपस्कर/इकाई
5.	8475	उच्च टैंप वाल्व
6.	85311090	अग्निरोधक सिग्नलिंग उपकरण
7.	87053000	अग्निशमन वाहन
8.	8905	i. तेल और गैस युक्ति (अपतट), प्लेटफार्म प्रक्रिया और उत्पादन तथा समुद्री जलयान और नौका ii. तेल और गैस युक्ति तथा विशेष सेवा, हलके जलयान, तलकर्षक, प्लवी क्रेन और अन्य जलयानों के लिए उपस्कर, नौगम्यता जो कि अपने मुख्य कृत्य की समनुषंगी है ; प्लवी डोक्स ; प्लवी और पनडुब्बी प्रवेधन या उत्पादन प्लेटफार्म - बांधने के लिए रस्सी, जंजीर, शैकल योजक समुद्री हौज और संबंधित उपस्कर
9.	8906 90 00	प्रदूषण नियंत्रण के लिए रक्षा नौका, उत्तरजीविता जलयान, रक्षा

		जलयान, जलयान
10.	8907	तेल भंडारण और संबंधित उपस्कर के लिए प्रयुक्त होने वाले तेल टैंकर, अन्य प्लवी संरचना (उदाहरण के लिए बेडे, टैंक कोफर डैम, अवतरण स्टैज, बोयस और बेकन)
11.	9015	पेट्रोलियम प्रचालन के लिए भू-वैज्ञानिक और भू-भौतिकी उपस्कर, लॉगिंग इकाई, सर्वेक्षण जलयान अपेक्षा
12.	90200000	श्वास अनुप्रयोग और गैस मास्क
13.	90301000	अग्नि और गैस परिचय उपस्कर जिसमें एच2एस मानिटरिंग उपस्कर शामिल है
14.	2710 3811 3824 3905 3104 20 00	तेलक्षेत्र रसायन जैसे पोटेशियम फॉर्मेट, होलो ग्लास स्फीयर ग्रेड-IV, जलीय फिल्म बनाने वाला फोम 6% यूएस मिल, ग्लूटाराल्डिहाइड, हाइड्रोक्सीमिथाइल फॉस्फोनियम सल्फेट, अमोनियम पर्सल्फेट, डेमल्सीफायर कम तापमान, पोटेशियम क्लोराइड, आंशिक रूप से हाइड्रोलाइज्ड पॉली एक्रिलामाइड, जैंथम गम पॉलिमर और तेल और गैस कुओं विशिष्ट सीमेंट योजक
15.	73, 84, 85, 87, 89 और 90	क्र. संख्यांक 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 और 13 में निर्दिष्ट भागों के लिए पुर्जे और उपसाधन ।

(xviii) क्र. सं. 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित सूची और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“सूची 35 (सारणी की क्र. सं. 167क देखें)

- (1) एम्स, नई दिल्ली
- (2) सेंटर फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स, बेंगलुरु
- (3) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
- (4) किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल, मुंबई
- (5) मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली
- (6) निज़ाम आयुर्विज्ञान संस्थान, सिकंदराबाद
- (7) पीजीआईएमआर, चंडीगढ़
- (8) संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ।”।

2. अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, और अंतिम बार अधिसूचना सं.55/2021-सीमाशुल्क, तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, जो संख्यांक सा.का.नि. 904 (अ) तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।